



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 757) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2026

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

8 जुलाई 2026

सं० 02/रेगु.-02-7003/2021-1316—राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों के व्यापक विकास, नई चीनी मिलों की स्थापना, किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन को नई गति देने के उद्देश्य से "बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026" को मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इससे संबंधित संकल्प संख्या-1231 दिनांक-25.06.2026 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1231 दिनांक-25.06.2026 के आलोक में ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और इस नीति के अधीन आवेदक/निवेशकों को पूँजी अनुदान/आर्थिक सहायता/प्रतिपूर्ति को उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए एक परियोजना अनुश्रवण समिति (Project Monitoring Committee-PMC) निम्न रूप से गठित की जाती है:-

क्रमांक	पदनाम	स्थिति
I	ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
II	संयुक्त सचिव/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
III	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग, बिहार सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
IV	संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
V	निदेशक, (एम.एस.एम.ई. निदेशालय), उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
VI	संयुक्त निदेशक (ईख विकास), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

3. इस नीति के अधीन गठित परियोजना अनुश्रवण समिति इस नीति के शर्तों के अनुसार आवेदक की पात्रता के आधार पर अनुदान की मंजूरी और संवितरण का निर्णय करेगी।

4. इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रक्रिया सुधार एवं आवश्यक सरलीकरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। पी०एम०सी स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह,,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 757-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>